न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडगॉव, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी डॉ. मंजु, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 74 / 19 वाद

श्री भेरूलाल उर्फ तोला डांगी पिता श्री पीथा डांगी, निवासी पुंला, हाल निवासी मकान नम्बर 11, मोती मगरी स्कीम, उदयपुर (राज.)

..............प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

............विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितः– श्री श्यामलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 11.12.19

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी, आधिपत्य एवं स्वामित्व की कृषि भूमि गॉव देवाली में स्थित है जिसके खाता संख्या 191 नया 241 पुराना की आराजी संख्या 2474, 2475मी., 2476मी., 2477मी. कुल किता 4 रकबा 0. 1650 में सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी के स्वामित्व एवं खातेदारी का है एवं खाता संख्या 357 की आराजी संख्या 2490 रकबा 0.0200 में से प्रार्थी का 1 / 3 हक व हिस्सा हैं एवं खाता संख्या 424 नया 434 पुराना के आराजी संख्या 2491 रकबा 0.1100 में प्रार्थी का 52 / 1100 हक व हिस्सा हैं। प्रार्थी को बचपन में तोला पिता पीथा डांगी एवं भेरूलाल पिता पीथा डांगी के नाम से पुकारते थे एवं इसी नाम से जाना जाता था। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद गॉव देवाली स्थित कृषि भूमि का नामान्तरकरण तोला पिता पीथा डांगी के नाम से हो गया और राजस्व ग्राम उदयपुर शहर की कृषि भूमि का नामान्तरकरण भेरूलाल पिता पीथा डांगी के नाम से हो गया। दोनो ही स्थानो की कृषि भूमि पर प्रार्थी

काबिज होकर तब से लगातार कृषि कर रहा हैं। बाद में उदयपुर शहर स्थित आराजी संख्या 298, 305 से 309, 1901/209 को प्रार्थी ने आवासीय परिवर्तन करवा दिया जिससे नगर विकास प्रन्यास ने प्रार्थी का आवासीय पट्टा भेरूलाल पिता पीथा डांगी के नाम से जारी कर दिया। गॉव देवाली स्थित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम तोला पिता पीथा होने से प्रार्थी उक्त भूमि को विकसित नहीं कर पा रहा है ना ही भूमि पर लोन ले पा रहा है नाही उक्त भूमि के फसल, खराब होने पर सरकार द्वारा देय मुआवजा प्राप्त कर रहा है क्योंकि प्रार्थी के आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पास बुक आदि सभी सरकारी दस्तावेज भेरूलाल पिता पीथा डांगी के नाम से बने हुए है जिससे प्रार्थी को अनेक कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा हैं। ओला वृष्टि होने पर प्रार्थी जब राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा लेने गया तो प्रार्थी के आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड में भेरूलाल पिता पीथा डांगी नाम अंकित होने एवं मुआवजा तोला पिता पीथा डांगी के नाम से होने के कारण प्रार्थी मुआवजा प्राप्त नहीं कर सका। इस कारण प्रार्थी ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी द्वारा बताया गया कि उक्त नाम में संशोधन न्यायालय द्वारा होगा। प्रार्थी के लिये यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का नाम तोला पिता पीथा के बजाय भेरूलाल पिता पीथा डांगी का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में कराये ताकि भविष्य में उक्त भूमि को विकसित करने में कोई बाधा नहीं आये। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम तोला पिता पीथा डांगी के बजाय भेरूलाल पिता पीथा डांगी दुरूस्त किये जाने का निर्णय पारित कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं।

अपने जवाब में विपक्षी तहसीलदार बड़गॉव द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम देवाली की आराजी संख्या 2474, 2475मी., 2476मी., 2477मी. किता 4 रकबा 0.1650 तौला पिता पीथा डांगी के नाम आराजी संख्या 2490 रकबा 0.0200 में तौला पिता पीथा का 1/3 हिस्सा एवं आराजी संख्या 2491 रकबा 0. 1100 में तौला पिता पीथा के नाम 52/1100 हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं। तोला पिता पीथा को भेरूलाल पिता पीथा डांगी दोनो ही

नाम से जाना जाता हैं। तोला के बजाय भेरूलाल पिता पीथा डांगी किया जाये तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा राज्यहित में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हैं। तहसीलदार बड़गॉव द्वारा प्रस्तुत जवाब में संलग्न पटवारी रिपोर्ट मौका पर्चा नकल जमाबन्दी आधार कार्ड की छायाप्रति, पहचान पत्र इत्यादि संलग्न की गई हैं।

प्रकरण में बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को बचपन में तोला एवं भेरूलाल पिता पीथा डांगी के नाम से पुकारा जाता था एवं इसी नाम से जाना जाता था। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद गॉव देवाली स्थित कृषि भूमि का नामान्तरकरण तोला पिता पीथा डांगी के नाम से हो गया और राजस्व ग्राम उदयपुर शहर की कृषि भूमि का नामान्तरकरण भेरूलाल पिता पीथा डांगी के नाम से हो गया। दोनो ही स्थानो की कृषि भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर तब से लगातार कृषि कर रहा हैं। बाद में उदयपुर शहर स्थित आराजी संख्या 298, 305 से 309, 1901/209 को प्रार्थी ने आवासीय परिवर्तन करवा दिया जिससे नगर विकास प्रन्यास ने प्रार्थी का आवासीय पट्टा भेरूलाल पिता पीथा डांगी के नाम से जारी कर दिया। गॉव देवाली स्थित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम तोला पिता पीथा होने से प्रार्थी उक्त भूमि को विकसित नहीं कर पा रहा है ना ही भूमि पर लोन ले पा रहा है नाही उक्त भूमि के फसल, खराब होने पर सरकार द्वारा देय मुआवजा प्राप्त कर रहा है क्योंकि सभी सरकारी दस्तावेज में भेरूलाल पिता पीथा डांगी का का नाम अंकित हैं। इस बात की जानकारी पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा नाम संशोधन कराये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में तोला पिता पीथा डांगी के बजाय भेरूलाल पिता पीथा डांगी दुरूस्त किया जाने के आदेश प्रदान कराये जावें।

बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बड़गॉव द्वारा अपने जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी तोला पिता पीथा को भेरूलाल पिता पीथा डांगी इन दोनो नामो से जाना जाता हैं तथा तोला के बजाय भेरूलाल पिता पीथा डांगी किया जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं

है नाही राज्यहित में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 की खाता संख्या 191 में आराजी संख्या 2474, 2475मी., 2476मी., 2477मी. एवं खाता संख्या 357 की आराजी संख्या 2490 तथा खाता संख्या 424 की आराजी संख्या 2491 में श्री तोला पिता पीथा डांगी का नाम जमाबन्दी में हिस्से अनुसार दर्शाया गया हैं। मौका पर्चा अनुसार उपस्थित मौतबिरान द्वारा भी यही जाहीर किया गया है कि खातेदार तोला पिता पीथा डांगी को भेरूलाल डांगी के नाम से भी जाना जाता हैं। भेरूलाल पिता पीथा डांगी व तोला पिता पीथा डांगी एक ही व्यक्ति के नाम हैं। जिससे राजस्व रेकार्ड में तोला पिता पीथा डांगी का नाम भेरूलाल पिता पीथा डांगी दर्ज किया जावे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रार्थी भेरूलाल पिता पीथा डांगी एवं जमाबन्दी ग्राम देवाली के खाता संख्या 191, 357 एवं 424 में दर्ज खातेदार तोला पिता पीथा डांगी दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है जिसको दो अलग अलग नाम तोला एवं भेरूलाल के नाम से जाना जाता हैं। ग्राम देवाली में दर्ज खातो में उसका नाम तोला पिता पीथा अंकित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी दस्तावेजो में भेरूलाल पिता पीथा डांगी ही अंकित हैं। जिससे ग्राम देवाली की जमाबन्दी में दर्ज खाता संख्या 191, 357 एवं 424 में तोला के बजाय भेरूलाल अंकित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

अतः तहसीलदार बड़गॉव की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गॉव देवाली की जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 191, 357 एवं 424 में प्रार्थी खातेदार का नाम तोला पिता पीथा डांगी के बजाय भेरूलाल पिता पीथा डांगी अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तद्नुसार तहसीलदार बड़गॉव रेकार्ड में अमलदरामद करावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार बड़गॉव को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. मंजु आई.ए.एस.**)**
उपखण्ड अधिकारी
बड़गॉव

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.01.21 12:03:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: